# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

**(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)**

अन्तर्गत धारा 251A RT Act.

राजस्व आवेदन संख्या 481/2025

| प्रार्थीगण | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. अनोपदान पुत्र सगतदान<br>2. कैलाशदान पुत्र सगतदान<br>3. गजदान पुत्र सगतदान<br>4. दलपतदान पुत्र सगतदान<br>5. पार्वतीकंवर पत्नी सगतदान<br>6. रेवंतदान पुत्र सगतदान<br>जाति चारण, निवासी करणीसर<br>तहसील शिव, जिला बाड़मेर | | 1. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव<br>2. द्रोपदीकंवर पत्नी गंगाराम<br>जाति विश्नोई, निवासी लालासर<br>तहसील सांचोर, जिला जालोर<br>3. केसरीदेवी पत्नी भारूराम<br>जाति जाट, निवासी रतनुओं की ढाणी<br>तहसील शिव, जिला बाड़मेर<br>4. रूपदान पुत्र खेतदान<br>5. सीताकंवर पत्नी रूपदान<br>6. अकलो पत्नी जवारदान<br>7. अखदान पुत्र प्रतापदान<br>8. ईश्वरदान पुत्र जवारदान<br>9. कुंपदान पुत्र प्रतापदान<br>10. गिरधारीदान पुत्र सबलदान<br>11. गोपालदान पुत्र बुधदान<br>12. चंदनदान पुत्र प्रहलाददान<br>13. डलदान पुत्र प्रतापदान<br>14. देमुदेवी पत्नी सबलदान<br>15. देमीदेवी पत्नी मंगलदान<br>16. दुरंगदान पुत्र प्रतापदान<br>17. धापूदेवी पत्नी प्रतापदान<br>18. नखतदान पुत्र मोतीदान<br>19. नारायणदान पुत्र शिवदान<br>20. पुष्पा पत्नी हरूदान<br>21. बरजुकंवर पत्नी बुधदान<br>22. भवानीदान पुत्र बुधदान<br>23. मुकनदान पुत्र बुधदान<br>24. मोहनदान पुत्र शिवदान<br>25. रावलदान पुत्र आवडदान<br>26. वेणीदान पुत्र जवारदान<br>27. संतुकंवर पत्नी आवड़दान<br>28. हेतुदान पुत्र प्रहलाददान<br>29. चम्पादान पुत्र रिड़मलदान<br>30. रीड़मलदान पुत्र गंगादान<br>31. लूणदान पुत्र रीड़मलदान<br>32. सवाईदान पुत्र रीड़मलदान<br>33. सांवलदान पुत्र रीड़मलदान<br>जाति चारण, निवासी करणीसर<br>तहसील शिव, जिला बाड़मेर<br>फोरमल पक्षकार<br>34. शाखा प्रबंधक, आरएमजीबी शाखा भींयाड़<br>35. शाखा प्रबंधक, आईसीआईसीआई बैंक भींयाड़<br>36. आरएसईपीएल हाईब्रिड पॉवर वन लि. करणीसर<br>37. अमेदाराम पुत्र हुकमाराम<br>जाति जाट, निवासी अलसोणियों की ढाणी<br>तहसील शिव, जिला बाड़मेर<br>38. नखतुदान पुत्र दानकरणदान<br>जाति चारण, निवासी मुहड़ो की ढाणी<br>तहसील शिव, जिला बाड़मेर<br>39. भूराराम पुत्र शेराराम<br>जाति जाट, निवासी रतनुओं की ढाणी<br>तहसील शिव, जिला बाड़मेर |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
शिव, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

| | |
|---|---|
| (seal: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव * जिला-बाड़मेर) | 40. भारूराम पुत्र गोरधनराम<br>जाति जाट, निवासी अलसोणियों की ढाणी<br>तहसील शिव, जिला बाड़मेर<br>41. मीरोदेवी पत्नी रेखाराम<br>जाति जाट, निवासी जालीपा आगोर<br>तहसील व जिला बाड़मेर<br>42. हीरोदेवी पत्नी खुमाराम<br>जाति जाट, निवासी रागदेवनगर, मौखाव<br>तहसील शिव, जिला बाड़मेर |

उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थी – श्री बृजमोहन कुमावत।
अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 3,5,6,8,10,11,14,17,19,24,30 से 34 – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

## –:: आदेश ::–

दिनांक : 11.05.2026

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत मौजा करणीसर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 678/212 रकबा 40.2338 हैक्टेयर का आया हुआ है, जिसमें प्रार्थीगण का निर्बाध रूप से कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 198, 212, 197, 692/301 रकबा क्रमशः 11.8168, 26.7578, 4.9857, 19.7972 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थीगण को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता आगे कटाण मार्ग से जुड़ने हेतु चाहा गया है। प्रार्थीगण का उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते हेतु घोषित की जाने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध हैं। अतः प्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीगण का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। विप्रार्थी संख्या 3,5,6,8,10,11,14,17,19,24,30 से 34 की ओर से जरिये अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई। शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर पक्षकारान् को तलब किया जाकर रिपोर्ट तैयार की गई। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतु प्रार्थी संख्या 1, 3, 5, 6 व विप्रार्थी संख्या 18 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 195 रकबा 5.0747 हैक्टेयर में से रकबा 0.2306 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 6 से 28 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 197 रकबा 4.9857 हैक्टेयर में से रकबा 0.0081 हैक्टेयर तथा तहसीलदार शिव के आधिपत्य के सरकारी खसरा नम्बर 198 रकबा 11.8168 हैक्टेयर में से रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य निकटतम रास्ता/विकल्प नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण के आवागमन हेतु निकटतम, लघुतम एवं सुगम विकल्प है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 03 गट्ठा तथा लम्बाई 330 गट्ठा है, जो बिन्दु संख्या सी से डी तक बरंग लाल प्रस्तावित किया गया है।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए के आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम, लघुतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया। विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण अधिवक्ता की

उपखण्ड अधिकारी
शिव,बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर पक्षकारान् को तलब किया जाकर रिपोर्ट तैयार की गई। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतु प्रार्थी संख्या 1, 3, 5, 6 व विप्रार्थी संख्या 18 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 195 रकबा 5.0747 हैक्टेयर में से रकबा 0.2306 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 6 से 28 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 197 रकबा 4.9857 हैक्टेयर में से रकबा 0.0081 हैक्टेयर तथा तहसीलदार शिव के आधिपत्य के सरकारी खसरा नम्बर 198 रकबा 11.8168 हैक्टेयर में से रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य निकटतम रास्ता/विकल्प नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण के आवागमन हेतु निकटतम, लघुतम एवं सुगम विकल्प है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 03 गट्ठा तथा लम्बाई 330 गट्ठा है, जो बिन्दु संख्या सी से डी तक बरंग लाल प्रस्तावित किया गया है। विप्रार्थी संख्या 3,5,6,8,10,11,14,17,19,24,30 से 34 के अधिवक्ता द्वारा मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है। शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा भी तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है। साथ ही तहसीलदार मौका रिपोर्ट में भी अन्य विकल्प नहीं होना दर्शाया गया है। चूंकि प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण की आत्यांतिक आवश्यकता होने एवं निकटतम व लघुतम एवं सुगम विकल्प होने पर रास्ते हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि की वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिफल राशि प्रार्थीगण द्वारा राजकीय खाता में जमा करवाई जाकर रास्ता कटाण किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत मौजा करणीसर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 678/212 रकबा 40.2338 हैक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रार्थी संख्या 1, 3, 5, 6 व विप्रार्थी संख्या 18 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 195 रकबा 5.0747 हैक्टेयर में से रकबा 0.2306 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 6 से 28 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 197 रकबा 4.9857 हैक्टेयर में से रकबा 0.0081 हैक्टेयर तथा तहसीलदार शिव के आधिपत्य के सरकारी खसरा नम्बर 198 रकबा 11.8168 हैक्टेयर में से रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), शिव
उपखण्ड अधिकारी
शिव, बाड़मेर

राजस्थान उपखण्ड अधिकारी शिव * जिला-बाड़मेर *

आदेश आज दिनांक 11.05.2026 को सरे इजलास सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), शिव
उपखण्ड अधिकारी
शिव, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner